बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता(यॉंत्रिक) का कार्यालय

सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर ।

E-mail:-eeimd.samastipur@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन पुनर्कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या :– 18/2025–26

पत्रांकः........................./ समस्तीपुर, दिनांकः............../............/2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर के कार्य क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न **AFS Gate** के स्थल निरीक्षण हेतु भ्रमण, तथा अन्य सरकारी कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु बोलेरा वाहन (चालक सहित) निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

जिसका विवरण निम्न है:–

क्रम सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	अभि0
01	कार्यपालक अभियंता(यॉं0),	एकरारनामा की तिथि से 31 मार्च 2027 तक	01	
02	सहायक अभियंता(यॉं0)	एकरारनामा की तिथि से 31 अक्टूबर 2026 तक	01	
03	सहायक अभियंता(यॉं0)	दिनांक 01 जूलाई .2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक(बाढ़ अवधि)	01	
04	सहायक अभियंता(यॉं0)	दिनांक 01 नवम्बर 2026 से 31 मार्च 2027 तक	01	

1. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक 28.03.2026
2. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 17.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
3. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :– कार्यपालक अभियंता(यॉं0) का कार्यालय सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 17.04.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में।
5. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्ते :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

नियम एवं शर्तेः–

6. भाड़े पर वाहन वर्ष 2026–27 के लिए 31.03.2027 तक के लिए लिया जायेगा तथा सेवा संतोशजनक रहने पर एकरारित दर पर अगले निर्धारित अवधि के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।

7. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन का कागजात मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
10. भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन का भुगतान प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
11. वाहन का भुगतान ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा रू0 1000.00(एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन भाड़ा का दर जिला नजारत प्रशाखा समाहरणालय, समस्तीपुर का ज्ञापांक 869 दिनांक 24.09.25 द्वारा निर्धारित अधिकतम अद्धतदर बोलेरो रूपये 29000.00 (उनतीस हजार मात्र) प्रतिमाह (ईंधन रहित एवं चालक सहित) में से न्यूनतम दर स्वीकार होगी।
14. वाहन मालिक/फर्म का वैध GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग में नही किया जायेगा।
16. वाहन का उपयोग 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगूने दर से कटौती कर ली जायेगी।
17. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पशचात् भुगतान की जायेगी।
18. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रकिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
19. कोटेशन के साथ कमांक 08 , 14 एवं 24 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।
20. वाहन का मॉडल 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
21. वाहन आपूर्तिकर्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पडने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक की वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।
22. वाहन आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति किये गये वाहन का Maintenance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त करेंगे।
23. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण के स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदण्ड का वाहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता से की जायेगी।
24. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण–पत्र Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाईसेन्स/ Permit जो DTO एवं वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिए आवश्यक होना वाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।
25. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ–सुथरा एवं हाईजैनिक स्थिति में होनी चाहिए तथा वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC चालक के Driving Licence की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति/कार्यालय में जमा करना होगा।
26. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा की एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया होना चाहिए तथा वाहन में मोबाईल चार्जर, टिशू पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।
27. लॉग–बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा एवं वाहन आपूर्तिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉगबुक में प्रतिदिन आरंभिक कि0मी0 परिचालित दूरी अंकित करके वाहन का उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे।

28. यात्रा की दूरी गणना, यात्रा आरम्भ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी को रात्रि जहाँ रखा जाता है, वहाँ से यात्रा आरम्भ की दूरी भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन पहुँचने पर परिचालन हेतु कि0मी0 की गणना आरम्भ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरान्त वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि0मी0 की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में भाम को कार्य स्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्य स्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा और न ही उसे लॉग–बुक पर अंकित किया जायेगा।

29. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी, जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए उपयोग करना शुरू करेगे, उस समय का कि0मी0 संख्या लॉग–बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

30. वहन आपूर्तिकर्त्ता अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को नोडल के रूप में नियुक्त करेगे, जिनसे इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क किया जायेगा।

31. किसी प्रकार का विवाद का निपटारा समस्तीपुर जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेंगा।

32. द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा की मूल प्रति रखेगे एवं प्रथम पक्ष मूल प्रति की छायाप्रति दी जायेगी।

33. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त कमांक 01 से 32 तक के शर्त्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना भापथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 08,14 एवं 24 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन समर्पित करेंगे। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

34. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच दिनांक 20.03.2026 के अपराह्न 04.00 बजे लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनके या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा कार्यालय कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।

ह0/
कार्यपालक अभियंता(याँ0)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर

पत्रांकः– 222 समस्तीपुर, दिनांकः 28.03.2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता(याँ0), जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता(याँ0) सिंचाई याँत्रिक अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित। सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी , जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

Alokh. Sh... 28/3/2028
कार्यपालक अभियंता(याँ0)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर
28-03-2026